राजस्थान विधान सभा

दसवीं बैठक, दिनांक २४ अक्टूबर, १९५२

सदन का कार्य ८ बज कर ५० मिनट पर प्रारम्भ हुआ।

(श्री अध्यक्ष पदासीन)

तारांकित प्रश्न

श्री भैरूसिंह:-प्रश्न संख्या ११६ का जवाब दिया जाना चाहिये।

श्री अध्यक्ष:-जो प्रश्न रह जाते हैं उनके जवाब हाउस की मेज पर रख दिये जाते हैं।

प्रश्न सं० ११७

श्री भैरूसिंह (वि० सं० १२):-क्या मंत्री महोदय, रेवेन्यु विभाग एवं कृषि विभाग, बतलाने की कृपा करेंगे:-

(अ) बाली, देसूरी तहसीलों में हो रहे सेटलमेन्ट का तमाम काम कब तक पूरा हो सकेगा ?

(ब) पट्टों का वितरण कार्य कब से प्रारम्भ होगा ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व-मंत्री):-बाली और देसूरी तहसीलों में सेटलमेन्ट का कार्य आखिर नवम्बर तक समाप्त हो जायगा।

(ब) बाली और देसूरी तहसीलों में पट्टों के वितरण का कार्य २२-१०-५२ से प्रारम्भ हो गया है।

श्री चन्दनमल:—क्या आपको पता है कि बाली और देसूरी में रेंट नागौर जिला की विभिन्न तहसीलों की रेट से ज्यादा है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया:-रेटस जिन आधारों को लेकर तय की जाती है उन्हीं आधारों पर बाली और देसूरी में भी तय की गई हैं।

प्रश्न सं० ११८

श्री भैरूसिंह:–क्या मंत्री महोदय रेवेन्यु विभाग एवं कृषि विभाग बतलाने की कृपा करेंगे:–

(अ) तकावी में कितनी रकम सरकार द्वारा मंजूर की गई थी और उसमें से कितने का वितरण हुआ ?

(ब) तकावी वितरण योजना किस प्रकार कार्य रूप में परिणत की गई है ?

(स) बाली और देसूरी तहसील में, प्रति किसान को अधिक से अधिक और कम से कम कितनी रकम दी गई ?

(ड) दोनों तहसीलों में प्रति व्यक्ति इतना अन्तर किस लिये हुआ ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया:–(अ) इस वर्ष राजस्व विभाग द्वारा ८ लाख रुपये तकावी के लिये मंजूर किये गये। इसके अलावा २ लाख रुपये मेकेनाइज्ड एग्रिकलचर मशीनों से खेती के लिये मंजूर किये गये। वितरण के आंकड़े वर्ष के आखिर में तैयार होंगे।

(ब) तकावी का वितरण मंजूर शुदा कार्य प्रणाली के अनुसार किया जाता है। इसके लिये नियम बने हुए हैं। नियमों की धारा १० के अनुसार कम से कम १०) रु० और अधिक से अधिक ३०००) रु० तक की तकावी दी जा सकती है।

(स) बाली और देसूरी तहसीलों के आंकड़े अब तक तैयार नहीं हुए हैं।

(ड) यह प्रश्न पैदा ही नहीं होता।

श्री जसवन्तसिंह:–क्या तकावी का वितरण महकमे के अफसरों द्वारा ही किया जाता है या नोन ओफिशियल लोगों की सलाह भी होती है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया:–इसका वितरण महकमे के अफसरों द्वारा ही किया जाता है।

श्री जसवन्तसिंह:–क्या नोन ओफिशियल लोग सिफारिश नहीं कर सकते ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया:–तकावी का वितरण नियमों के अनुसार अफसर लोग ही करते हैं।

श्री जसवन्तसिंह:–क्या वे अफसर नोन ओफिशियल लोगों की रिकमन्डेशन मानते हैं या नहीं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया:–उनके लिये किसी की रिकमन्डेशन का मानना आवश्यक नहीं है ।

श्री जसवन्तसिंह:–क्या यह बात सरकार के नोटिस में है कि एक एक किसान को दो-दो, तीन-तीन बार तकावी दे दी जाती है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया:–मुझे ऐसी कोई जानकारी नहीं है ।

प्रश्न सं० ११६

श्री भैरूसिंह, एम. एल. ए., डिवीजन नम्बर १२:--क्या मंत्री महोदय, रेवेन्यु विभाग एवं कृषि विभाग, बतलाने की कृपा करेंगे:–

(अ) देसूरी तहसील में क्या किसी व्यक्ति ने दो बार तकावी ली है ?

(ब) यदि 'अ' का उत्तर 'हां' में है तो कितनी रकम ली है और तसदीक किस सरकारी कर्मचारी ने की है ? क्या सरकार उचित कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

(स) सरकार ने जिम्मेवार व्यक्ति के प्रति क्या क्या कदम उठाया है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया:--क्योंकि किसी खास व्यक्ति का नाम नहीं लिया गया है, इसलिए इतनी शीघ्रता से जांच की संभावना नहीं और वह जांच नहीं की जा सकती । जोधपुर डिवीजन के कमिश्नर को इस सम्बन्ध में जांच करने के लिए लिख दिया गया है । यदि आरोप सही निकले तो सरकार इसके लिए जिम्मेदार व्यक्ति को दण्ड देने के लिए मुनासिब कार्यवाही करेगी ।

श्री जसवन्तसिंह:–क्या तहसील देसूरी के अलावा दूसरी जगह भी तकावी दो–दो, तीन–तीन बार दी गई है; उस पर भी सरकार गौर करेगी ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया:—अवश्य ।

प्रश्न सं० १२०

श्री भैरूसिंह, एम. एल. ए., डिवीजन नम्बर १२:-क्या मंत्री महोदय, रेवेन्यु विभाग एवं कृषि विभाग, बतलाने की कृपा करेंगे–-

(अ) सरकार उन्हालू फसल के लिए गेहूं, जौ, गुज्जी, चने आदि का बीज इस वर्ष किसानों को देने का विचार रखती है ?

(ब) यदि 'अ' का उत्तर "हां" में है तो किन किन केन्द्रों से बीज के वितरण का कार्य होगा और वितरण कार्य कब शुरू होगा ?

Page No.4

(स) इस बीज को सरकार कीमत से देगी अथवा बाड़ी से ?

(ड) देसूरी, बाली तहसीलों में यह वितरण केन्द्र कहां होगा ?

(ई) किसानों की सुविधा का ध्यान रखते हुए वितरण योजना और वितरण केन्द्र की सूचना शीघ्रातिशीघ्र प्रत्येक तहसील में भेजने का कष्ट सरकार करना चाहेगी ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया:—एग्रिकल्चर डिपार्टमेन्ट की तरफ से केवल Improved variety seed दिया जाता है । जो चना और दूसरी चीजों के वितरण के लिए एग्रिकल्चर विभाग ने कमिश्नर Civil Supplies से व्यवस्था की है कि विभिन्न Collectors को उनकी जरूरतों के माफिक दिया जाय । इन Seeds के वितरण के लिए आवश्यक एलोकेशन कमिश्नर सिविल सप्लाईज ने कर लिया है ।

(व) जो अलग २ वितरण के केन्द्र मुकर्रर किये गये हैं उनमें Seeds के वितरण की मिकदार इस प्रकार हैं:–

(१) भरतपुर ३०० मन (२) टोंक २५० मन (३) जोधपुर २०० मन (४) अलवर ५० मन (५) सवाई माधोपुर ३०० मन (६) बांसवाड़ा २५० मन (७) भीलवाड़ा ३०० मन (८) पाली २५० मन (९) बूंदी ३०० मन (१०) (उदयपुर) २०० मन (११) गंगानगर ९५० मन (१२) मेड़ता तहसील ५० मन कुल इस प्रकार ३१५० मन ।

इसके अलावा कमिश्नर Civil Supplies ने गेहूं के बीज कलेक्टर्स को इस तरह भेजे हैं :–

(१) गंगानगर २०००० मन (२) उदयपुर मय डूंगरपुर के २०००० मन (३) जालोर ५००० मन (४) चित्तौड़गढ़ ४००० मन (५) परतापगढ़ (उदयपुर) ४००० मन (६) बाड़मेर ४००० मन (७) भीलवाड़ा ८००० मन (८) पाली ७००० मन (९) सिरोही २००० मन (१०) बांसवाड़ा ८००० मन इस प्रकार कुल ८६००० मन ।

(स) जो Seed दिया जाता है बाढ़ी पर नहीं दिया जाता नकद पर देने की व्यवस्था है ।

(द) डिस्ट्रिक्ट एग्रिकल्चर ऑफिसर, पाली बाली और देसूरी तहसीलों में विवरण करेगी ।

(इ) कलेक्टरों तथा डिस्ट्रिक्ट एग्रिकल्चर ओफिसर्स को इम्प्रूव्ड वेराइटी के बीज के वितरण के लिये सूचना तथा आदेश दे दिये गए हैं ।

श्री चन्दनमल:–क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या बीज देना शुरू कर दिया गया है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया:-हां ।

श्री चन्दनमल:-यह बीज कागजों में ही दिया जाता है या असलियत में भी दिया जाता है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया:-असलियत में दिया जाता है तभी कागजों में दिया जाता है ।

श्री सन्तोषसिंह:-क्या जोधपुर में दिया जाता है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया:-हां, दिया जाता है ।

श्री सन्तोषसिंह:-मैं अभी जोधपुर गया तब मुझे मालूम हुआ कि वहां नहीं दिया गया है ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया:--वहां भेज दिया गया है और बीज पहुंच चुका है ।

श्री गुरूदयालसिंह--गंगानगर इलाके में किसी को नहीं दिया गया है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया:--दिया गया है ।

श्री सन्तोषसिंह:--क्या जोधपुर के लिए २०० मन बीज काफी है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया:-एक निश्चित अनुपात से सब को दिया गया है ।

श्री चन्दनमल:--क्या यह बात सच है कि बीज कई जगह पहुंचा ही नहीं है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया:-बहुत सा पहुंच चुका है ।

श्री चन्दनमल:--क्या यह बात सच है कि बीज भीलवाड़े के बजाय उदयपुर पहुंच गया ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया:--मुझे ऐसी जानकारी नहीं है ।

प्रश्न सं १२१

श्री भैरूसिंह, एम. एल. ए., डिवीजन नम्बर १२:-क्या मंत्री महोदय, रेवन्यु एवं कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे:-

(अ) क्या सरकार द्वारा गत अधिवेशन में आश्वासन दिया गया था कि हर तहसील में तकावी बांटने का काम एक कमेटी द्वारा होगा ?

(ब) यदि 'अ' का उत्तर "हां" में है तो कृपया सूचित कीजिये कि देसूरी और बाली तहसीलों में ऐसी कमेटियां बनाई गई थीं या नहीं बनाई गईं ?

(स) यदि "ब" का उत्तर "हां" में है तो सूचित कीजिये कि उन्होंने क्या क्या कार्य किया ?

(ड) यदि 'ब' का उत्तर "ना" में है तो सूचित कीजिये कि यह कमेटियां क्यों नहीं बनाई गईं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया:-- (a) जहां तक याद पड़ता है ऐसा आश्वासन नहीं दिया गया था ।

(b) ऐसा ध्यान है ।

(c) इस विषय में फैसला शीघ्र किया जायगा ।

प्रश्न सं० १२२

श्री भैरूसिंह एम. एल. ए., डिविजन नम्बर १२:—क्या मंत्री महोदय, रेवेन्यु विभाग एवं कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे:–

(अ) सरकार के ध्यान में यह बात है कि खालसा के कुछ गांवों में कुछ व्यक्तियों ने अपने नाकी बादी दूसरे काश्तकारों को काश्त करने को दे रखी है ?

(ब) यदि "अ" का उत्तर "हां" में है तो क्या सरकार ऐसी प्रथा को रोकने का विचार रखती है ?

(स) सरकार काश्त करने वालों से लगान सीधे (direct) रूप में वसूल करने का विचार रखती है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया:–

(a) नहीं ।

(b) यह प्रश्न अब पैदा नहीं होता ।

(c) लगान सीधे तरीके से काश्तकार से वसूल किया जाता है ।

प्रश्न सं० १२३

श्री अवनिकुमार:--Will the Minister-in charge of Transport Department be pleased to state:—

(i) Whether the Civil Aviation Department is being wound up ?

(*ii*) What are the profits and losses of the Department during the years 1949—50, 1950—51 and 1951—52 ?

(*iii*) If the department is being wound up, will the Government take an initiative in the matter of organising a flying club—with its centre at Jaipur?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया:-

(a) राजस्थान सिविल एवियेशन विभाग १ अक्टूबर सन् १९५२ से समेटा जा रहा है ।

(b) यह विभाग प्रशासकीय सुविधा के लिये चलाया जाता था; व्यापारिक आधार पर नहीं । अतः हानि-लाभ के आंकड़े अब तक तैयार नहीं किये गये । इसके आंकड़े तैयार किये जा रहे हैं और अगर सदन की मांग रही तो वे आंकड़े यथाशीघ्र हाउस की टेबल पर रख दिए जायेंगे ।

(c) राजस्थान फ्लाँइंग क्लब स्थापित करने व इसका केन्द्र जयपुर रखने की स्कीम राजस्थान सरकार के विचाराधीन है ।

प्रश्न सं० १२४

श्री कपिलदेव अग्रवाल:—Will the Customs Minister please inform:—

(*a*) That restrictions on the import of vegetable ghee have been removed from 1-10-52 ?

(*b*) Does the Government know the prevailing resentment in the public due to this action ?

श्री नाथूराम मिर्धा:--

(a) वेजिटेबल घी के आयात के ऊपर अभी तक यों का यों प्रतिबन्ध कायम है ।

(b) यह सवाल पैदा ही नहीं होता ।

श्री कपिलदेव:-यदि पाबन्दी लगी हुई है तो ये हजारों पीपे वेजीटेबल घी के कैसे आ रहे हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा:-कानून होते हुए भी कई लोग कानून तोड़ते हैं । जो पकड़े जाते हैं उन्हें सरकार सजा देती है ।

श्री चांदमल:-वेजीटेबल घी के आयात पर रोक लगाने का क्या कारण है ?

श्री नाथूराम मिर्धा:—जनता के स्वास्थ्य की दृष्टि से और राजस्थान के लोगों को शुद्ध घी मिले, इसलिए यह बान (Ban) लगा है ।

एक सदस्य:—क्या राजस्थान की जनता को शुद्ध घी मिल रहा है ?

श्री नाथूराम मिर्धा:—मैं तो यही जानता हूं ।

श्री कपिलदेव:—क्या माननीय मन्त्री ने कभी बाजार से घी खरीद कर मंगाया है ?

अध्यक्ष:--Order, Order !

श्री इन्द्रनाथ मोदी:--वेजीटेबल घी के सम्बन्ध में सरकार की क्या नीति है ?

श्री अध्यक्ष:—यह प्रश्न पोलीसी से सम्बन्ध रखता है ।

श्री नाथूराम मिर्धा:—हालांकि यह पोलीसी का सवाल है फिर भी मैं हाउस की जानकारी के लिए २ शब्द कहना चाहता हूं । Constitution में भी Pure food के लिए Article है । इसके लिए सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट की तरफ से राजस्थान सरकार पर काफी दबाव आ रहे हैं कि इस तरह के Restrictions हटाने चाहिए ।

(एक सदस्य बोलने के लिये खड़े हुए)

श्री अध्यक्ष --Order, Order

Rule 28 (13) of the Rules of Proceduare, which is as follows, is quite clear:—

"In order that a question may be admissible it shall not raise questions of policy too large to be dealt within the limits of an answer and matters for dealing with which the rules provide a more convenient method".

एक सदस्य:—क्या राजस्थान सरकार बनस्पति घी को स्वास्थ्य के लिए हानिकारक समझती है ?

श्री नाथूराम मिर्धा:—जरूर समझती है ।

वही सदस्य:—भारत सरकार ने इस सम्बन्ध में जांच के लिए एक कमेटी बनाई थी । उसने यह राय दी है कि बनस्पति घी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं है ।

श्री अध्यक्ष:--Order, Order !

श्री भैरूसिंह :—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि आज तक कितने स्मगलिंग के केसेज रजिस्टर हुए और कितनों पर एक्शन लिया गया ?

श्री नाथूराम मिर्धा :—यह तो एक नया सवाल है ।

श्री कपिलदेव :—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि दरअसल कोई केस रजिस्टर हुआ या नहीं ?

श्री नाथूराम मिर्धा :—कई केसेज रजिस्टर हुए हैं और कइयों को सजाएं भी मिली हैं ।

श्री चन्दनमल :—क्या सरकार वेजिटेबल घी को हानिकारक नहीं समझती ?

श्री नाथूराम मिर्धा :—हानिकारक समझती है ।

(एक सदस्य बोलने के लिये खड़े हुए)

श्री अध्यक्ष :—ओर्डर, ओर्डर ।

प्रश्न संख्या १२५

श्री गंगासिंह (वि.स० ४१)—Will the **Chief Minister** be pleased to state:—

(1) Is the Government aware of the prevailing discontentment among services in the manner in which the questions of their pay and allowances are decided by the Finance Department and the Accountant General's Office ?

(2) Does the Government realise that being a party to such dispute it can not decide them in an impartial manner ?

(3) Will the Government consider setting up some Judicial or semi-judicial machinery (as in the case of industrial disputes) to examine such case ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया :—(1) and (2):—Government are not aware of any general discontentment in this regard. In fact the vast majority of Government servants specially in the low paid categories, have gained as a result of introduction of unified scales of pay. There may be individual cases of hardship and Government has always been prepared to consider such representations as the individuals concerned might make. The Finance Department is concerned only with the framing of general rules and such particular cases as involve special features not strictly covered by the rules. Otherwise, fixation of pay with reference to the rules is made by the Accountant General or by

the departments concerned in consultation with or subject to the scrutiny of the Accountant General. The Accountant General is not subordinate to the Rajasthan Government. He is an Officer of the Indian Audit department under the Comptroller and Auditor General of India, whose independence has been secured by specific provisions in the Constitution. Since the fixations are made by or in consultation with the Accountant General and are in any case subject to his scrutiny, the question of Government's being a party, etc. does not, in the generality of cases, arise. Even otherwise, Government is not a party inasmuch as the relations between Government and a Government servant are not the same as between a private employer and his employee.

श्री गंगासिंह:—इस प्रश्न के सब सेक्शन ३ का उत्तर नहीं मिला ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया:—यह प्रश्न पैदा ही नहीं होता ।

प्रश्न संख्या १२६

श्री गंगासिंह:—Will the **Minister for Public Works Department** be pleased to state:—

(1) Is it under the consideration of the Government to construct a road from Ras in Jaitaran Sub-Division upto Chandawata on the Ajmer-Merwara border towards Beawar ?

(2) Is the Government aware that without a road on the above track the population of that area is facing great inconveniences specially in rainy season ?

(3) Does the Government also know that the lack of a road on this track is one of the main reasons of the economic backwardness of the people of the area ?

(4) Does the Government know that the Ajmer-Merwara Government has already constructed a 3 mile road from Merwara towards Chandawata ?

श्री नाथूराम मिर्धा:— (१) नहीं

(२) उस एरिया में दूसरा रूट है; एक ट्रैक (रास्ता) रास से मंगलियावास तक है।

(३) यों तो सड़कों की राजस्थान में हर जगह जरूरत है परन्तु जैसे जैसे हमारी आर्थिक व्यवस्था हमको सड़कें बनाने के लिये पर्मिट करती हैं उतनी सड़कें हम बनाते हैं और जहां सड़कों के बनाने की अति आवश्यकता होती है हम बनाते हैं।

Page No.11

(४) यह दूसरी स्टेट से संबन्ध रखता है इसलिये मैं ठीक नहीं बता सकता कि कितनी लम्बी सड़क है और कितना काम है ।

प्रश्न सं० १२७

श्री गंगासिंह:—Will the **Chief Minister** be pleased to state:—

(1) Will the Government reveal the number of Non-Rajasthani I. A. S. Officers posted in Rajasthan during the last 2 years ?

(2) Will the Government let us know the number of Non-Rajasthani Officers recruited or taken on loan-service in the past 3 years ?

(3) What is the number of posts equal to that of Collector's and above on which R. A. S. Officers can be posted ?

(4) What are the chances (and on what number of posts) of the H Group of R. A. S. Officers for promotions ?

(5) Is the Government aware of the surging discontentment prevailing over the influx of officers from out-side and over the lack of chances of promotions for the R. A. S. and the Tehsildar—Service Officers ?

(6) Will the Government consider to follow the Mysore Government in refusing to take any I. A. S. or outsider Officers in their service ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया:—

(1) 7 have already been posted and 9 more allotted to Rajasthan are receiving training in U. P.

(2) 98 (of these 46 officers have either been reverted, resigned or their services terminated).

(3) There are 85 posts equal to that of Collector or above in Groups 'A' to 'G' of the R. A. S. This includes 63 posts encadred in the I. A. S. Since the full quota of I. A. S. officers is not available, 34 officers of the R. A. S. are holding I. A.S. posts. There are some R. A. S. officers confirmed in Groups A to G of R. A. S. who can hold posts of Collector or equivalent or higher as the case may be.

(4) There are 18 posts in R. A. S. in Groups 'A' to 'G' to which R. A. S. officers in Group 'H' can be promoted subject to vacancies. The I. A. S. scheme provides for a fixed percentage of State Service officers for appointment to I. A. S. by promotion.

(5) The exchange of officers between one State and another is not a new innovation, and some officers from Rajasthan are also serving under other Governments. Moreover, the officers whose services have been taken on loan from other States are against the quota of posts in the I.A.S. cadre and do not affect the chances of R. A. S. officers for promotion to such posts.

As regards the promotion of Tehsildars to the R. A. S., there is no bar to their promotion in case of vacancies as the officers whose services have been obtained on deputation are for higher posts and do not affect the chances of promotion of Tehsildars to R. A. S.

(6) In view of the Government having already accepted the extension of the I. A. S. scheme to Rajasthan, the question does not arise.

श्री एच. के. व्यास:—Is the Government prepared to reconsider their decision as regards acceptance of the I. A. S. scheme in Rajasthan?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया:--No.

श्री एच. के. व्यास:—Is the Government aware of the discontentment of the people in this respect.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया:—I think, as I have already said, this question does not arise.

प्रश्न सं० १२८

श्री गंगासिंह:—Will the **Education Minister** be pleased to state:—

(1) What place does the Rajasthani language find in the Course-books of Schools and Colleges?

(2) What steps does the Government intend to take for the uplift and advancement of Rajasthani language and literature?

श्री नाथूराम मिर्धा:—हमारी स्कूलों में शिक्षा का माध्यम (medium) हिन्दी है; लेकिन खास तौर से राजस्थानी की कुछ कविताएं हमारे बच्चों में राजस्थानी की भावना पैदा करने के लिये, व राजस्थानी को प्रोत्साहन देने के लिये, कोर्स में रखी गई हैं।

श्री देवीसिंह:—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि वे राजस्थानी को भाषा नहीं समझते ?

श्री अध्यक्ष:—ओर्डर, ओर्डर !

श्री गंगासिंह:—क्या राजस्थानी को अलग सबजेक्ट के रूप मे स्कूलों में रखा जावेगा ?

श्री नाथूराम मिर्धा:—नहीं।

श्री गंगासिंह:—क्या इसका कारण बतलाएंगे ?

श्री नाथूराम मिर्धा:—जबकि हिन्दी हमारे यहां शिक्षा का माध्यम है और संविधान में ओफिशियल लेंग्वज हिन्दी मानी गई है तो हमारे यहां पर भी हिन्दी होना जरूरी है।

श्री इन्द्रनाथ मोदी:—Mr. Speaker, Sir, I do not think the Hon'ble Minister has answered question No. 2. May I understand that Government do not propose to take any steps?

श्री अध्यक्ष:—(श्री मिर्धा को सम्बोधित करते हुए) You reply to question, part (2).

श्री नाथूराम मिर्धा:—इसके लिये समय समय पर प्रयत्न सरकार की तरफ से राजस्थानी की खोज करने के लिये किये जा रहे हैं और जो जो चीजें प्राप्त हुई हैं उनको पब्लिश कराया जा रहा है और जो लोग इसकी खोज करते हैं उनको प्रोत्साहन दिया गया है और फिर भी दिया जावेगा।

श्री गंगासिंह:—इस संबन्ध में सरकार द्वारा कहां कहां प्रयत्न किये गये ?

श्री नाथूराम मिर्धा:—इसके लिये नोटिस चाहिये।

श्री कानसिंह:—इसके लिये कोई रकम भी निर्धारित है ?

श्री नाथूराम मिर्धा:—पुरातन विभाग की तरफ से इस विषय में जानकारी हासिल करने की बराबर कोशिश की जाती है।

श्री एच. के. व्यास:—क्या सरकार राजस्थानी को सेकन्ड लेंग्वेज बनाकर प्रोत्साहन देने के लिये तैयार है ?

श्री नाथूराम मिर्धा:–इस पर विचार किया जावेगा ।

श्री मोहम्मद इब्राहिम:–क्या उर्दू जुबान को स्कूलों में पढ़ाने का इन्तजाम हो सकता है ?

श्री नाथूराम मिर्धा:–उर्दू कई जगह स्कूलों में पढ़ाई जाती है।

श्री अध्यक्ष:–This question does not arise.

प्रश्न संख्या १२६

श्री गंगासिंह:–Will the Chief Minister be pleased to state:—

(1) Is the Government aware of the great unemployment among educated in this State ?

(2) What steps does the Government intend to take to solve this problem ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया:—(क) सरकार को यह पता है कि शिक्षित वर्ग के अन्दर अनएम्प्लॉयमेन्ट बढ़ा है; लेकिन बहुत अनएम्प्लॉयमेन्ट बढ़ा है यह कहना उचित नहीं होगा। अनएम्प्लॉयमेन्ट उसी मात्रा में इस राज्य के अन्दर भी है जिस मात्रा में देश के अन्य राज्यों में है ।

(ख) सरकार हर समय इस समस्या पर विचार करने के लिए तैयार है और वह शिक्षा के अन्दर वोकेशनल और टेकनिकल आधार को ज्यादा तरजीह देना चाहती है; जिससे इस समस्या को हल करने का प्रयत्न किया जाय। सरकारी सर्विसेज के अलावा दूसरे स्थानों में भी उनको सर्विसेज मिले, उसके लिए प्रयत्नशील है, और छोटे आधार पर एम्प्लॉयमेन्ट एक्सचेन्जेज द्वारा वह प्रयत्न किया जाता है ।

श्री कपिलदेव अग्रवाल:–क्या माननीय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि कल जो शिक्षा मंत्रीजी ने यह कहा था कि लेक्चरार्स और प्रोफेसर मिल नहीं रहे हैं, गलत है ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया:–मैं समझता हूं कि शिक्षा मंत्रीजी ने किसी खास विषय के लेक्चरार्स और प्रोफेसर्स के लिए कहा था कि नहीं मिलते हैं ?

श्री इन्द्रनाथ मोदी:–Has the Government collected any Statistics in regard to unemployment in Rajasthan ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया:-एम्प्लॉयमेन्ट एक्स्चेन्जेज के द्वारा ही इस तरह अनएम्प्लायमेन्ट के आंकड़े तैयार किये जाते हैं।

श्री एच. के. व्यास:--Is the Government prepared to place them on the table of the House?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया:—जितने आंकड़े उपलब्ध होंगे वे हाउस की सूचना के लिए उपलब्ध किये जायेंगे।

श्री एच के व्यास:- Is the Government aware that the retrenchment in staff is creating more unemployment?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया:-हाउस को यह मालूम है कि हमारी जो आर्थिक परिस्थिति है उसके कारण यह अनिवार्य स्थिति है।

श्री देवीसिंह:-जब कि राजस्थान में इतना अनएम्प्लॉयमेंट है तो फिर राजस्थान के बाहर के प्रान्तों से लोग यहां सर्विसेज़ में क्यों बुलाये जाते हैं?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया:-मैं समझता हूं कि इस प्रश्न का उत्तर मैं इससे पहले वाले प्रश्न के उत्तर में दे चुका हूं।

प्रश्न संख्या १३०

श्री गंगासिंह:--Will the Chief Minister be pleased to state:—

(1) Is the Government aware of the discontentment prevailing among services over the favouritism in transfers and promotions?

(2) Will the Government consider the question of transfers and promotions strictly on the basis of seniority?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया:—(क) राजकीय सेवाओं में आवश्यकतानुसार स्थानान्तर और तरक्की की जाती है।

(ख) तरक्की देने में सिनियोरिटी का ध्यान रखा जाता है; लेकिन केवल सिनियोरिटी ही अकेला तत्व नहीं है।

प्रश्न संख्या १३१

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु:-क्या माननीय पुनर्विभाग मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे--

(क) शरणार्थियों को जमीनें बिना किसी नोटिस मंसूख कर दी जाती है?

(ख) हजारों बीघे मुसलमानों की भूमि पर गैर शरणार्थी (लोकल) सरकारी कर्मचारी और दो-दो स्थानों पर एलाट कराने वालों का कब्जा है ?

(ग) रिफ्युजी कार्ड हकदार लोगों को न दिये जा कर गैर शरणार्थियों को जारी किये जा रहे हैं ?

(घ) शरणार्थियों में प्रान्तीय भेदभाव समझा जाता है (और) गैर सरकारी कमेटी बनाकर इसकी जांच करवायेंगे ?

(ङ) यदि करवायेंगे तो कब तक और नहीं तो क्यों ?

श्री अमृतलाल यादवः— (क) नहीं ।

(ख) लैंड एलाटमेन्ट रिव्यु कमेटी ऐसे केसेंज को देख रही है और जहां इस प्रकार के केसेंज पाये जाते हैं उन्हें केन्सिल किया जाता है और केन्सिल किया गया है ।

(ग) नहीं ।

(घ) नहीं ।

(ङ) ऐसी एक कमेटी जिसमें कि केन्द्रीय सरकार के प्रतिनिधि और राजस्थान सरकार के अफसर भी होंगे नियुक्त की जायगी; जल्दी ही वह कमेटी काम करेगी ।

श्री रामदयाल उपाध्यायः—यह कमेटी कब तक नियुक्त की जायेगी ?

श्री अमृतलाल यादवः—जल्दी ही ।

श्री कपिलदेवः—"जल्दी" शब्द का क्या मतलब है। जब भी पूछा जाता है तो जल्दी कहा जाता है। हर सवाल का जवाब "जल्दी" होता है, हर सवाल का जवाब आता है "कि सरकार विचार कर रही है।" तो एक बार फाइनली यह तय हो जाय कि "जल्दी" की क्या मियाद है।

श्री अध्यक्षः—It is a relative word.

श्री गुरुदयालसिंह सन्धुः—ऐसी जो शिकायतें की गई हैं उसकी जांच कितनों की की गई हैं और कितनी ठीक साबित हुई ।

श्री अमृतलाल यादवः—जो कोई भी शिकायत की गई उन पर उचित विचार किया गया है और जो उनमें से सही निकलीं उनको उचित सजा दी गई ।

श्री कपिलदेव अग्रवाल:–कितनी शिकायतें सही निकलीं और कितनों को दंड दिया गया।

श्री अमृतलाल यादव:–इसके लिए नोटिस की आवश्यकता है।

श्री कपिलदेव अग्रवाल:–मंत्री महोदय को कैसे मालूम है कि जांच की गई और जो सही निकलीं उनको दंड दिया गया।

श्री अमृतलाल यादव:–जांच की जो चीजें मेरे सामने आईं, उस आधार पर मैं कहता हूं। जो जमीनें सही एलॉट नहीं की गई थीं उनको कैन्सिल किया गया और जो सही थीं उनका एलॉटमेंट कायम रखा गया।

श्री कपिलदेव अग्रवाल:–जो शिकायतें आईं और जो सही निकलीं उनको दंड दिया गया। जब आपको मालूम ही नहीं कि कितनी शिकायतें हैं तो फिर दंड किसको दिया गया ?

श्री अमृतलाल यादव:–जी, मैंने यह नहीं कहा। मैंने यह कहा कि जितनी शिकायतें सही निकलीं उनको दंड दिया गया।

श्री दुर्लभसिंह:–क्या क्या शिकायतें हुईं, यह आपको नहीं मालूम ?

श्री गुरुदयालसिंह:–क्या आप वह टेबिल पर रखेंगे कि जिसके लिए शिकायतें हुईं उनको दुबारा चेलेंज किया गया है जिसमें पंजाब गवर्नमेन्ट की रिपोर्ट भी है। स्वयं अफसरों ने, जिन्होंने उन शिकायतों को गलत कहा है उन्होंने उनकी रियायत की है। क्या वह करप्शन में शामिल नहीं है ?

श्री अमृतलाल यादव:–"टेबिल" से मतलब क्या है, मैं नहीं समझा।

श्री दुर्लभसिंह:–जमीन को किस आधार पर मन्सूख किया जाता है और शरणार्थियों को जो एलाट की जाती है वह किस आधार पर की जाती है।

श्री अमृतलाल यादव:–जो अधिकारी होता है उनको एलाट की जाती है। जो अधिकारी नहीं होता है उनकी कैन्सिल की जाती है।

श्री मोतीराम:–शरणार्थियों की जमीनें हड़प करने वाले लोकल आदमियों के खिलाफ मिसल नं० २०, मिसल नं० ६६ और मिसल नं० ६१ चल रही है। जो मिसलें चल रही हैं तो आप उनको ध्यान से देखेंगे ?

श्री अमृतलाल यादव:–मुझे इसके बारे में मालूम नहीं है। जो मिसलें आपने बतलाई उनको मंगाकर देखूंगा।

श्री कपिलदेव:—यह देखकर आप कब तक हाउस के समक्ष बता सकेंगे ? दूसरे सेशन तक हाउस के सामने बता सकेंगे ?

श्री अमृतलाल यादव:—अगर इस बात का फाइनल हो गया तो मुझे बताने में क्या एतराज है।

प्रश्न संख्या १३२

श्री देवीसिंह:—क्या माननीय गृह विभाग के मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगे:—

खासा कोठी के पास जो शो रूम बन रहा है उसका पर—गज क्या चार्ज किया गया है और उसके पास की जमीन की क्या रेट है ? क्या उसको नीलाम के पहले नोटिस निकाल कर बिडिंग किया गया था ?

श्री रामकिशोर व्यास—खासा कोठी के पास जो शो रूम बन रहा है उसकी जमीन के साढ़े सात रुपये फी गज के हिसाब से चार्ज किया गया है। उसके बिलकुल आस-पास तो कोई जमीन बिकी नहीं है, लेकिन पोलो विक्टरी के पास जो जमीन बिकी है वह पांच रुपये से सवा छः रु० गज से बिकी है। इसका कोई नीलाम नहीं किया गया है।

श्री देवीसिंह:—क्या माननीय मंत्री महोदय सदन को कृपा करके बतलायेंगे कि निलाम क्यों नहीं किया गया ?

श्री रामकिशोर व्यास:—मैं ऐसा कोई कारण नहीं बता सकता हूं। यह उनके डिस्क्रीशन पर था। कारण नहीं दे सकता।

एक सदस्य:—क्या इसका कोई विशेष कारण नहीं था ?

श्री रामकिशोर व्यास:—विशेष कारण तो कोई मालूम नहीं होता है।

श्री मानसिंह (जमुआ रामगढ़):—इसके बिलकुल पास ही सड़क के दूसरी तरफ जो रूम्स बन रहे हैं वह जमीन क्या भाव बिकी है ?

श्री रामकिशोर व्यास:—वहां पर तो कोई रूम्स नहीं बन रहे हैं। दूसरी तरफ तो बेनी पार्क में २ रु० गज के हिसाब से दी गई है।

श्री इन्द्रनाथ मोदी:—जब प्रान्तीय आर्थिक व्यवस्था के सम्बन्ध में हमें हर समय चिन्ता बनी रहती है तो मैं जानना चाहता हूं कि ऐसी अनमोल जमीन इतने कम मूल्य में और वगैर नीलाम के क्योंकर बेच दी जाती है।

श्री रामकिशोर व्यास:—आपने जो सुझाव दिया है उस पर आयन्दा विचार किया जा सकता है।

श्री मानसिंह (जमुआ रामगढ़):–क्या सरकार ने यह गलत किया है? उसके लिए एन्क्वायरी कमेटी बैठाने को वे तैयार हैं?

श्री रामकिशोर व्यास:–यह गवर्नमेन्ट का डिस्क्रीशन था कि वह नीलाम से बेचे या एलाट करके बेचे। उन्होंने उस डिस्क्रीशन को इस्तेमाल किया। अपने डिस्क्रीशन में उन्होंने नीलाम से बेचना उचित नहीं समझा और एलाटमेंट से जमीन को बेचा।

श्री मानसिंह (जमुआ रामगढ़):–इस जमीन की कीमत १०० रु० गज से कम नहीं है।

श्री अध्यक्ष:–ऑडर, ऑर्डर!

श्री मानसिंह (जमुआ रामगढ़):–अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न पर हमें सप्लिमेन्टरी प्रश्न करने का मौका दिया जाय। यह देखा गया है कि जो बात आम फायदे की होती है वह हर वक्त टाल दी जाती है।

श्री अध्यक्ष:–Members can seek information but cannot give information.

श्री भैरूसिंह:–क्या यह बात सही नहीं है कि जमीन का नीलाम नहीं करने से सरकार को काफी नुक्सान हुआ है?

श्री अध्यक्ष:–This is not a supplementary question but a separate question.

श्री मानसिंह (जमुआ रामगढ़):–सरकारी अधिकारी ने किसी खास व्यक्ति को देकर सरकार को काफी नुक्सान किया। क्या सरकार इस बात की जांच करने को तैयार है?

श्री रामकिशोर व्यास:–आपके खयाल में ऐसा हो सकता है; इसमें जांच की कोई बात नहीं।

श्री मानसिंह (जमुआ रामगढ़):–तो क्या सरकार अपने डिस्क्रीशन के मुताबिक किसी को फ्री भी दे सकती है?

श्री रामकिशोर व्यास:–ऐसे रूल्स नहीं हैं।

श्री रामदयाल उपाध्याय:–क्या सरकार के पास एलाट करने का प्रोसिजर है?

श्री रामकिशोर व्यास:–जी हां, है।

श्री मानसिंह (जमुआ रामगढ़):—जमीन को वापिस सरकार एक्वायर नहीं कर सकती है ?

श्री रामकिशोर व्यास:—एक्वायर करने के लिए हमें रिक्विजीशन एक्ट के तहत कार्यवाही करनी पड़ेगी; जिसके अनुसार कोई पब्लिक पर्पज होने पर ही वह एक्वायर कर सकती है। यहां कोई पब्लिक पर्पज दिखाई नहीं देता है।

श्री इन्द्रनाथ मोदी:—क्या सरकार यह आश्वासन देगी कि आइन्दा इस तरह से जमीन एलॉट नहीं की जायगी ?

श्री रामकिशोर व्यास:—जमीनें तो आयन्दा भी एलाट की जाएंगी और नीलाम भी की जायंगी, लेकिन यह जरूर कन्सीडर किया जायगा कि कहां एलाट किया जाय और कहां नीलाम किया जाय।

श्री एच. के. व्यास:—क्या सरकार पता लगायेगी कि इससे कितना नुक्सान हुआ, उस एलॉटमेन्ट से ?

श्री अध्यक्ष:—ऑर्डर, ऑर्डर ! नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या १३३

श्री कपिलदेव:—Will the **Law Minister** please reply:—

(a) How many Civil suits are pending against the Government in the various Law Courts of Rajasthan and of what valuation ?

(b) How many of those suits are filed because the deposits have not been refunded ?

(c) Is it a fact that invariably no reply is given for the notices given to Government under section 80 C. P. C. ?

श्री रामकिशोर व्यास:—जो सूचना चाही गयी है वह अभी मुयैया नहीं है। अलग अलग अदालतों से इसके आंकड़े इक्टठे किये जा रहे हैं। सदन चाहेगा तो सदन के सामने पेश कर दिये जायेंगे। अर्जी दावे देखने के बाद यह कहा जा सकता है कि इसके लिए समय की आवश्यकता है और यह भी साफ नहीं हैं कि कौनसे समय और कब से कब तक के लिए इत्तला चाही जाती है।

(सी) अनिवार्य नहीं; चाहे दफा ८० का नोटिस हो ?

श्री रामदयाल उपाध्याय:—क्या इस सवाल का जवाब बाद में दिया जायगा ?

श्री रामकिशोर व्यास:—आंकड़े उपलब्ध हो जायेंगे तो दे दिया जावेगा।

श्री कपिलदेवः—क्या सरकार को यह पता है कि ज्यादातर मुकद्दमें अधिकारियों की लापरवाही के कारण होते हैं ?

श्री रामकिशोर व्यासः—जी नहीं ।

श्री कपिलदेवः—तो क्या वजह है जो इतने मुकद्दमें दायर होते हैं ?

श्री रामकिशोर व्यासः—इसकी वजह यह है कि किन्हीं को गवनमेन्ट का पोइन्ट आफ व्यु एग्री नहीं करता है । कोई गवर्नमेन्ट को गलत समझता है और किन्हीं को सरकार गलत समझती है; इसलिये ये मुकद्दमें होते रहते हैं।

श्री कपिलदेवः—क्या यह बात सही है कि डिपोजिट के रूप में या सिक्योरिटी के रूप में जो रकम सरकार में जमा करवाई जाती है व आठ-आठ दस-दस वर्ष तक जमा नहीं होती है; इसलिये दावे किये जाते हैं ?

श्री रामकिशोर व्यासः—आप कोई इन्डिवीज्युअल केस बतावें तो मैं अर्ज कर सकता हूं ।

श्री मोतीचन्द खजान्चीः—क्या इस बात का सरकार को पता है कि इलेक्टोरल रोल्स जो छपे थे उनके बिलों का भुगतान अभी तक नहीं हुआ है। वे बिल बैंक से वापिस आ रहे हैं, इसलिये उनका दावा भी होने वाला है ?

श्री रामकिशोर व्यासः—इस सूचना के लिए धन्यवाद ।

श्री मानसिंहः—इलेक्टोरल रोल्स के बिल्स, कुछ टिप्स न मिलने के कारण, दबा दिये गये हैं । ,

श्री अध्यक्षः—ऑर्डर, ऑर्डर । नेक्स्ट ।

प्रश्न सं० १३१

श्री कु० तेजसिंहः—क्या माननीय पृथक् राजस्व मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे किः—

(क) १८ फरवरी, १९५२ के नोटिफिकेशन द्वारा जागीरदारों को दिये जाने वाले मुआवजे व विशेष रियायतों को खतम कर दिये जाने से राजस्थान सरकार को वार्षिक कितनी आय होगी ?

(ख) क्या इन जागीरी इलाकों को सूखा (ड्राइ) घोषित कर दिया जाने वाला है ?

(ग) यदि हां, तो कब तक ?

श्री नाथूराम मिर्धा:-ता० १८-७-५२ के सरकारी नोटिफिकेशन द्वारा जागीरदारों को भट्टियों के लिये जो कुछ स्पेशल पॉवर्स थे उनके दावों को रद्द कर देने से सरकार को ७॥ लाख रुपये की आमदनी होगी।

(ख) अभी ऐसा कोई ख्याल नहीं है कि इन दोनों एरियाज़ को ड्राई घोषित कर दिया जाय।

(ग) प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता।

श्री सोहनलाल भटनागर:-यह आमदनी जो बतायी गई है क्या वह खर्चे को बाद निकाल कर बतायी गयी है ?

श्री नाथूराम मिर्धा:-यह सब आपको नेट आमदनी बतायी गई है।

श्री मानसिंह:-यह आमदनी किस बेसिस पर केलक्युलेट की गई ?

श्री नाथूराम मिर्धा:-२ लाख ५० हजार रुपया हमको केश कम्पेनसेशन देना पड़ता है। ५ लाख रुपये की आमदनी करीब शराब निकालने की और वे खुद बेचा करते हैं उसकी इस प्रकार के केलक्युलेशन से करीब ७॥ लाख की आमदनी होती है।

श्री देवीसिंह:-जहां से विस्तृत आमदनी हो रही है उस क्षेत्र को ड्राई घोषित करने का विचार कर रही है ? और ड्राई घोषित क्षेत्रों में जहां इल्लीगल डिस्टिलेशन हो रहा है उसमें बान लगा दिया जायगा ?

श्री नाथूराम मिर्धा:-जो इस तरह का कार्य करते पकड़े जाते हैं उनको सजा दी जाती है।

श्री भैंरुसिंह(दांता रामगढ)-इस नोटिफिकेशन की तामील नहीं की गई है और कई ठिकाने अभी तक निकाल रहे हैं; इसके लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री नाथूराम मिर्धा:-इस नोटिफिकेशन की तामील कराने के लिए पूरी पाबन्दी बरती जा रही है। छुपके छुपके जो निकालते हैं उनके लिए भी व्यवस्था इस नोटिफिकेशन के जरिये की जायगी।

श्री मानसिंह -क्या सरकार को पता है कि इस नोटिफिकेशन को हाईकोर्ट म चेलेन्ज किया जा रहा है ?

श्री नाथूराम मिर्धा:-नहीं।

प्रश्न सं० १३५

श्री मोतीचन्द खजान्ची:—क्या माननीय पी० डब्ल्यू० मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे:—

(क) कि बीकानेर नगर में स्थित डूंगर कॉलेज छात्रावास की चाहर-दीवारी पर किसी स्थानीय पी० डब्ल्यू० डी० के उच्चाधिकारी ने अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिये एक मोटर गेरेज का निर्माण कर लिया है ?

(ख) यदि ऐसा है तो क्या सरकारी दीवार को अपने गेरेज में मिलाने की उसने सरकार से अनुमति प्राप्त करली है ?

(ग) क्या गेरेज में लगा सामान, फाटक इत्यादि सरकारी नहीं है ?

श्री नाथूराम मिर्धा:—

(क) हां

(ख) ना

(ग) ना

श्री मोतीचन्द खजान्ची:—क्या यह बतलाने की कृपा करेंगे कि यह गेरेज बनाने की इजाजत दी गई थी ?

श्री नाथूराम मिर्धा:—मैंने इसका जवाब दे दिया था ।

श्री मोतीचन्द खजान्ची:—उसको हटाने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री रामदयाल उपाध्याय:—सरकारी अधिकारी जैसी कार्यवाही कर लेते हैं उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जाती है ?

श्री नाथूराम मिर्धा:—सरकारी अधिकारी भी जो गलती कर लेते हैं, उसकी जांच के बाद उसको दुरुस्त कर दिया जाता है ।

श्री मोतीचन्द खजान्ची:—इसके अन्दर जो दरवाजे लगाये गये हैं वे क्या कोठियों के मलबे से उठा कर लगाये गये हैं ।

श्री नाथूराम मिर्धा:—नहीं ।

श्री चन्दनमल:—इस गेरेज को हटाने की क्या कार्यवाही चल रही है ?

Page No.24

श्री नाथूराम मिर्धा—सरकार इस बात की जांच करेगी; फिर इस बात का निर्णय किया जायगा।

श्री गुलाबचन्द कासलीवाल:—क्या यह बात आप जांच के आधार पर कर रहे हैं?

श्री नाथूराम मिर्धा:—मैं जांच के ही आधार पर कह रहा हूं। जिस जमीन पर यह गेरेज बनाया गया है उसका ओथोराइज्ड पट्टा उनके पास नहीं है; इल्लीगल तरीके से बना लिया गया है।

श्री मानसिंह:—क्या सरकार उन व्यक्तियों को जो इस प्रकार सरकारी जमीन पर अनियमित कब्जा कर लेते हैं उनको डिसमिस करने का विचार नहीं कर रही है?

श्री नाथूराम मिर्धा:—यह कोई सस्पेन्शन जैसा मामला नहीं है; इसलिये ऐसा माननीय सदस्यों को सख्त रुख अख्त्यार नहीं करना चाहिये।

श्री गुलाबचन्द कासलीवाल:—क्या सरकार बता सकेगी कि किस अधिकारी ने इसकी जांच की कि सरकारी माल इसमें काम में नहीं लिया गया?

श्री नाथूराम मिर्धा:—मुझे ऑफिसर के नाम का पता नहीं।

श्री कासलीवाल:—क्या उनका डेजिग्नेशन बताया जा सकता है?

श्री नाथूराम मिर्धा:—चीफ इन्जीनियर बिल्डिंग एण्ड रोड्ज ने इसकी जांच की थी।

श्री इन्द्रनाथ मोदी:—इस प्रकार अनधिकृत रूप से जिस अधिकारी ने गेरेज बनाया है उस अफसर को निकालने की कोई कार्यवाई हो रही है?

Has any notice been given to him to give occupation of this garage? If the garage has been built on State land on which he has no right, he should certainly have been asked to quit. Therefore I want to know whether Government have taken steps to have the garage vacated.

श्री नाथूराम मिर्धा:—माननीय सदस्यों को मालूम होना चाहिये कि इस प्रकार सरकारी जमीन पर अनओथोराइज्ड कन्स्ट्रक्शन बना लिया जाता है तो या तो उसे म्युनिसिपल लॉज के अधीन बिल्कुल हटा दिया जाता है या उसके बाद जमीन का पट्टा उसके नाम कर दिया जाता है। इस हिसाब से सारा मुकद्दमा अन्डर कन्सिडरेशन है। सरकारी जमीन ऐसी जगह आई हुई है कि इसका दूसरा कोई उपयोग हो नहीं सकता। सरकार को इसके बने रहने से कुछ नुक्सान होता हो, ऐसी कोई बात नहीं।

श्री गुलाबचन्द कासलीवाल:–क्या माननीय मंत्री महोदय के पास चीफ इन्जीनियर की रिपोर्ट है।

श्री नाथूराम मिर्धा:–इस वक्त मेरे पास रिपोर्ट नहीं है।

श्री कासलीवाल:–माननीय मंत्री महोदय ने क्या स्वयं उस रिपोर्ट को देखा है ?

श्री नाथूराम मिर्धा:–यह सब उत्तर, रिपोर्ट, के आधार पर ही तो दिये गये हैं। यह सब बातें चीफ इन्जीनियर की रिपोर्ट में हैं और माननीय मंत्री जो इस विभाग के सम्बन्धित हैं उन्होंने जो जानकारी मुझे दी उसके आधार पर यह बात कह रहा हूं।

श्री इन्द्रनाथ मोदी:–क्या यह इस प्रकार का दृष्टिकोण नहीं बन रहा है जिससे कोई भी सरकारी अधिकारी इस तरह से सरकारी जमीन पर कब्जा करने में प्रोत्साहन पायेंगे ?

श्री नाथूराम मिर्धा:–बिल्कुल नहीं।

श्री गुलाबचंद कासलीवाल:–मैं माननीय स्पीकर महोदय से निवेदन करूंगा कि इस प्रश्न का पूर्ण उत्तर सम्बन्धित मंत्री महोदय के सदन में उपस्थित होने पर लिया जाय।

श्री अध्यक्ष:--Half an hour discussion can be raised if the Member concerned is dissatisfied with the reply of the Hon'ble Minister.

श्री गुलाबचन्द कासलीवाल:--I appeal to the Speaker just to order the Government to give full reply to the question because it is just said that the Minister concerned alone will make a reply.

श्री अध्यक्ष:--No, but if full reply is not given and the Member concerned is dissatisfied with the reply then he has a right to raise half an hour discussion and any member who wants to participate in that discussion can also include himself. The rules are there.

श्री मोतीचन्द खजान्ची:–माननीय मंत्री महोदय को. . . . .

श्री अध्यक्ष:–नेक्स्ट।

प्रश्न सं० १३६

श्री मोतीचन्द खजान्ची:--क्या मुख्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि यह कहां तक सच है कि पब्लिक सर्विस कमीशन ने डिग्री तथा पोस्ट ग्रेजुएट कालेजों के प्रिन्सिपल पदों की नियुक्तियां व्यक्ति की केवल मात्र नौकरी के

समयावधि को दृष्टिगत रख कर की है और उच्च शिक्षा की महान् योग्यताओं प्रिन्सिपल, वाइस प्रिन्सिपल तथा पोस्ट ग्रेजुएट कक्षाओं के विभागाध्यक्ष पदों पर रहने से प्राप्त व्यवस्था सम्बन्धी अनुभवों की पूर्ण रूप से उपेक्षा की गई है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया:—नहीं ।

श्री मोतीचन्द खजान्ची:—क्या माननीय मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जिन चार प्रिन्सिपलों को अभी अभी यह पद दिया गया है उनके नाम मिस्टर अरोड़ा, शिवराज बहादुर, त्रिपाठी और मेथ्युको हैं और उनमें सीनियोरिटी का कोई खयाल नहीं रखा गया है ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया:—मैं आपकी बात को समझ नहीं सका ।

श्री अध्यक्ष:—जिन चार प्रिन्सिपल्स को बनाया गया है उसके सम्बन्ध में है ।

श्री मोतीचंद खजान्ची:—क्या माननीय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जिन चार प्रिन्सिपल्स को अभी अभी यह पद दिया गया है उनके नाम मिस्टर अरोड़ा, शिवराज बहादुर, त्रिपाठी और मेथ्युको हैं और उनमें सिनियोरिटी का कोई खयाल नहीं रखा गया है । उनमें से श्री मेथ्युको जो हैं उनको सिनियोरिटी के आधार पर कोई पद प्राप्त नहीं हुआ है ?

श्री नाथूराम मिर्धा:—अभी एजुकेशन डिपार्टमेन्ट का इन्टिग्रेशन हुआ था और वह पब्लिक सर्विस कमीशन ने किया था । उन्हीं की रिकमन्डेशन्स के आधार पर सरकार ने यह किया है । किन किन को पद दिया गया है और किन किन को नहीं; इस सम्बन्ध में मैं कुछ नहीं कह सकता । यह पब्लिक सर्विस कमीशन के ज्युरिस्डिक्शन का मामला है । गवर्नमेन्ट ने उनकी रिकमन्डेशन को एक्सेप्ट करके यह किया है ।

श्री मोतीचन्द खजान्ची:—क्या सर्विस या ओहदे को देखकर किया गया है ? उनकी योग्यता को देखकर नहीं किया गया है क्या ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया:—आपको इस बात का पहले ही उत्तर दिया जा चुका है कि यह पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा किया गया है और वे ये सब बातें देखकर ही करते हैं ।

श्री मोतीचन्द खजान्ची:—अब सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही नहीं करेगी ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया:—पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा जो बात तय की गई है उसे सरकार कार्यान्वित करेगी ।

श्री कानसिंह:—क्या पब्लिक सर्विस कमीशन की रिकमन्डेशन्स को हाउस की जानकारी के लिए टेबल पर रखा जा सकेगा ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया:—नहीं रखे जा सकते हैं।

अल्पकाल सूचना प्रश्न

श्री अध्यक्ष:—Short Notice question. Shri H. K. Vyas.

श्री हरिकिशन व्यास:—Short Notice question No. 1.

श्री अध्यक्ष:—You will have to read the whole question.

श्री हरिकिशन व्यास:—Will the Minister for Local-Self Government Department be pleased to answer:—

(a) Is it a fact that the sweepers of the Shahpura Municipality have gone on strike from the 6th October, 1952 ?

(b) Is it a fact that their pay for the last seven months is due ?

(c) What steps is the Government taking for ensuring them timely payment for the work they do ?

श्री रामकरण जोशी:—(ए) हां।

(बी) हां।

(सी) नगरपालिका की आर्थिक स्थिति बहुत नाजुक रही है। नगरपालिका ने अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए सन् १९५० के अन्त में कर से सम्बन्धित प्रस्ताव प्रेषित किये थे। चूंकि ये प्रस्ताव कानून के अनुसार नहीं थे अतः वे ३-४ बार नगरपालिका को लौटाये गये। फाइनल प्रस्ताव अब सरकार के विचाराधीन है। इस बीच में आर्थिक कठिनाइयों को दूर करने के लिए सरकार ने इस नगरपालिका को ४,०००) रुपये की रकम सरकारी सहायता के रूप में देने की स्वीकृति प्रदान कर दी है।

श्री हरिकिशन व्यास:—Does not the Hon'ble member in charge feel that non-payment of wages for seven months has been....?

श्री अध्यक्ष:—This is a question which invites opinion.

श्री हरिकिशन व्यास:—I want enunciation of Government policy.

श्री अध्यक्ष:—Policy cannot be enunciated. You can only seek information.

श्री हरिकिशन व्यास:–Sir, I want to know that in Shahpura.....

श्री रामदयाल उपाध्याय:–राजस्थान में दो शाहपुरा हैं। कौन से शाहपुरा की यह बात है ?

श्री जसवन्तसिंह:–जब सात महीने तक तनख्वाह नहीं मिली है तो क्या यह अनुचित बात नहीं है ? यदि अनुचित है, तो गवर्नमेन्ट क्या कर रही है ?

श्री रामकरण जोशी:–इसके औचित्य को कोई अस्वीकार नहीं कर सकता है। सरकार ने जो कदम उठाया है वह मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि उनको चार हजार रुपयों की मदद दी गई है। अर्थ के मामले में वे स्वतन्त्र हैं। जो सवाल किया जा रहा है वैसा सवाल हम भी चेयरमेन बोर्ड से करते हैं।

श्री हरिकिशन व्यास:–सरकार ने क्या कार्यवाही की जब उनके पास यह सूचना आई ?

श्री रामकरण जोशी:--सरकार ने क्या किया है यह मैं आपको पहले ही निवेदन कर चुका हूं। उनको चार हजार रुपयों की मदद दी गई और उनसे प्रस्ताव मंगवाये गये हैं जिससे उनकी आर्थिक स्थिति ठीक की जा सके।

श्री रामदयाल उपाध्याय:--अध्यक्ष महोदय, मुझे मेरे सवाल का उत्तर अभी तक नहीं मिला है। यहां कौनसे शाहपुरा की बात चल रही है ?

श्री हरिकिशन व्यास:--मंत्री जी समझ गये हैं कि कौनसे शाहपुरा की बात चल रही है।

श्री रामदयाल उपाध्याय--सवाल-जवाब चल रहे हैं और यह भी नहीं मालूम है कि कौन से शाहपुरा की बात चल रही है।

(हंसी)

श्री रामकरण जोशी:--आपके पास जो शाहपुरा है उसी की बात है।

राजस्थान भारतीय औषधि विधेयक, १९५२

Shri Amrit Lal Yadav, for Shri Ram Kishore Vyas:—Sir, I beg to introduce a Bill to provide for the development of Indian system of medicine, surgery and midwifery and to regulate practice in Rajasthan.

राजस्थान चल-चित्र (नियमन) विधेयक, १९५२

Shri Nathu Ram Mirdha:—Mr. Speaker, Sir, I beg to introduce the Rajasthan Cinemas (Regulation) Bill, 1952.

राजस्थान वन-अधिनियम, १९५२

श्री अमृतलाल यादव:–अध्यक्ष महोदय, में प्रस्ताव करता हूं कि वन–उत्पत्ति के संक्रमण (ट्रान्जिट) तथा निर्माण काष्ठ (टिम्बर) तथा अन्य वन–उत्पादन पर लगाये जाने से संबन्ध रखने वाली विधि को एकत्रित करने वाला विधेयक, जैसा कि प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित (एज रिपोर्टेड) है, विचारार्थ लिया जाय।

श्री भैरूंसिंह:–(दांता रामगढ) अध्यक्ष महोदय, इसे विचारार्थ लेने से पूर्व मुझे इस पर कुछ ऐतराज है। दिनांक ४ अप्रेल १९५२ को यह विधेयक इस विधान सभा में इन्ट्रोडयूस किया गया था और उस समय एक प्रवर समिति नियुक्त हुई थी। उस समिति के सदस्यों में मेरा भी नाम था। लेकिन मुझे अफशोस है कि मुझे न कोई इत्तिला भेजी गई और न मुझे सिलेक्ट कमेटी की किसी मिटिंग में ही बुलाया गया; इसलिये यह बात अवैधानिक है और में चाहता हूं कि इसे दुबारा सिलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाय; में इस पर अपने वेल्युएबल सजेशेन्स देता जिससे में महरूम रहा।

श्री अध्यक्ष:—Is it not a omission in the names ?

श्री भैरूंसिंह:–No. Sir, इसके समर्थन में यह निवेदन है कि मुझे जो पत्र मिला, वह इस प्रकार था:–"I am directed to inform you that you have been appointed a member of the Select Committee on the Rajasthan Forest Bill, 1952". इसकी ताईद में मैं यह राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही के पेज ५२ को रखूंगा जिसमें जो नाम दिये गये हैं उनमें केसरीसिंहजी; भैरोंसिंहजी केलवा, भैरोंसिंह दांता रामगढ का नाम है और में भैरोंसिंह दांता रामगढ हूं।

श्री अमृतलाल यादव:–माननीय अध्यक्ष, माननीय सदस्य का नाम भैरोंसिंह है और यहां इस नाम के २, ३ सज्जन और हैं। इनके पास गलती से पत्र पहुंच गया होगा। दरअसल में दूसरे भैरोंसिंहजी कमेटी के सदस्य थे जो उसकी बैठकों में मौजुद थे।

श्री भैरूंसिंह:–क्या यह माना जाय कि कार्यवाही की रिपोर्ट गलत है ?

श्री अमृतलाल यादव:–यह सवाल उठता ही नहीं है। भैरोंसिंहजी प्रतिनिधि सदस्य कमेटी की मिटिंगों के समय मौजूद थे।

श्री भैरोंसिंह:–रिपोर्ट में मेरा नाम है तो फिर दूसरे भैरोंसिंहजी को क्यों बुलाया गया ?

श्री मानसिंह:–यह एक मेम्बर के प्रिविलेज का सवाल है और इसमें यदि गलती हुई है तो या तो सरकार की हुई है या एसेम्बली के दफ्तर की हुई है।

श्री अमृतलाल यादव:—विरोधी पक्ष के सदस्यों की तरफ से यह कहा जाता है कि हम सहयोग देने को तैयार हैं और सहयोग देना चाहिये भी। मुझे गर्व है कि इस सिलेक्ट कमेटी के सभी सदस्यों ने जो काम किया वह सहयोग की भावना से और दलगत भावना को दूर रखकर, किया। इस उद्देश्य से काम किया कि इस बिल के द्वारा राजस्थान के लोगों का हित हो। ऐसी हालत में यदि गलती रह भी गई हो तो उसे बाधा के रूप में खड़ा नहीं करना चाहिये।

श्री मानसिंह:—यह सदस्यों के प्रिविलेजेज़ पर कुठाराघात है।

श्री अमृतलाल यादव:—इसमें सदस्यों के प्रिविलेजेज़ पर कुठाराघात का कोई प्रश्न नहीं है। यदि गलती से उनके पास नोटिस चला गया था तो इसमें कौनसी बड़ी भारी गलती थी जिसकी वजह से कार्यवाही रोक दी जाय; जबकि दूसरे भैरोंसिंहजी वहां मौजूद थे।

श्री मानसिंह:—एक नाम के हजारों आदमी होते हैं। यदि किसी नाम के एक आदमी को फांसी की सजा हो गई तो क्या उसी नाम के दूसरे आदमी को आप फांसी दे देंगे। क्या यह न्याय होगा, मैं इस पर अध्यक्ष महोदय, आपसे डिसिजन चाहता हूं। यह हमारे प्रिविलेज का सवाल है।

श्री कंवरलाल जेलिया:—क्या सिलेक्ट कमेटी के मेम्बरशिप की लिखित सूचना आपको दी गई थी या आपने इसके बारे में कुछ लिखा-पढ़ी की थी?

श्री भैरूसिंह:—जी हां, सिलेक्ट कमेटी की बैठक के समय में भी यहां पहुंच गया था। मैंने जो चिट्ठी लिखी थी उसे पढ़कर सुनाता हूं।

"I bring to your kind notice that during the last Session of the Rajasthan Legislative Assembly I was appointed a Member of the Select Committee to consider the Forest Bill. Today I was surprised to know that the meeting of the Committee is being held and I have not been informed of that. As I have got some valuable suggestion to put forth I would suggest you kindly to postpone the Meeting for some another date and inform me accordingly."

श्री रोशनलाल:—यदि इसका जवाब मिला हो तो वह भी पढ़कर सुना दीजिये।

श्री भैरूंसिंह:—जवाब भी पढ़कर सुना देता हूं:—

"I am directed to inform you that Bhairon Singh Khejadla has been appointed Member of the Select Committee on the Rajasthan Forest Bill, 1952."

(Long-Silence)

श्री अध्यक्ष:--माननीय सदस्य का यह कहना ठीक है कि विरोधी दल के नेता ने उनकी ओर से श्री भैरूंसिंह केलवा का नाम दिया था, किन्तु जो प्रस्ताव मैंने यहां रखा उसके अन्दर यह है:--

"यह विधेयक सिलेक्ट कमेटी (प्रवर समिति) के सुपुर्द किया जाय। इसके सदस्य श्री रोशनलाल, श्री हरिदेव, श्री बद्रीलाल, श्री रामदयाल, श्री श्रीदास, श्री बद्री-प्रसाद, श्री वेदपाल त्यागी, श्री दलीपसिंह, श्री गोपीलाल यादव, श्री श्रीगोपाल भार्गव, श्री संग्रामसिंह देवगढ़, श्री हिम्मतसिंह, श्री भैरवसिंह, श्री हरदत्तसिंह, श्री सज्जनसिंह, श्री केसरीसिंह, श्री भैरूंसिंह केलवा होंगे तथा आगामी होने वाले सदन के दूसरे अधिवेशन की बैठक शुरू होने के, एक हफ्ते में इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत हो और इसके कोरम की संख्या ७ होगी। श्री अमृतलाल यादव इस सिलेक्ट कमेटी (प्रवर -समिति) के अध्यक्ष होंगे।"

तो यह दोनों हैं।

श्री अमृतलाल यादव:--The matter is very clear.

श्री अध्यक्ष:--No. The question is if his name was there and in spite of that he was not included in the proceedings of the Select Committee, can the report of the Select Committee be initiated.

श्री इन्द्रनाथ मोदी:--It cannot be initiated.

श्री अध्यक्ष:--If the Member has got any substantial suggestion he can give it.

श्री इन्द्रनाथ मोदी:--That means that he was not the person intended.

श्री अध्यक्ष:--Admitting that he was there.........

श्री इन्द्रनाथ मोदी: That is a different matter. We can proceed on that basis. I see no objection if the Hon'ble member agrees. But I think he has every right to move his amendments, if any, and he would be well-advised to do so.

श्री मानसिंह:--अध्यक्ष महोदय! जब इन मेम्बर महोदय को मालूम पड़ा कि सिलेक्ट कमेटी की मीटिंग है तो खाचरियावास से भागे--भागे आये। इसका भत्ता वगैरह इन्हें मिलना चाहिए।

श्री अध्यक्ष:--Order, Order! You will not plead his case.

श्री मानसिंह:-अध्यक्ष महोदय! मैं यह पूछना चाहता हूं कि एक माननीय सदस्य सिलेक्ट कमेटी के मेम्बर नहीं थे फिर भी उन्होंने इस कमेटी को किस तरह attend किया और T. A., D. A. किस तरह draw किया।

श्री अध्यक्ष:-Order!

श्री भैरोंसिंह (दांता रामगढ) :—I shall invite the attention of the House to Rule 136 (c) (2) which provides that if the member-in-charge moves that the bill be taken into consideration any member may move as an amendment that the bill be re-committed. Sir, I was a member of the Select Committee and I was not invited at its meetings. Thus I, could not give the valuable suggestions that I could give. I therefore, by way of amendment suggest that the Bill be recommitted to the same Select Committee.

श्री अध्यक्ष:—You give it in writing.

(given)

श्री अध्यक्ष:—(संशोधन का पढ़ना)

"That the Bill as reported by the Select Committee be re-committed to the same Select Committee, as I, who was appointed to be a member was not invited to its meeting and thus it is my privilege to get the Bill reconsidered by the same Select Committee."

Yes. The position is that two Hon'ble Members, namely, Bhairon Singhs, were invited, rather, nominated and both of them, rather all those two have attended the Select Committee meetings. It is a doubtful matter whether the third gentleman, Shri Bhairon Singh of Danta Ramgarh, was a member or not. So he has moved this amendment. The amendment is that the Bill as reported by the Select Committee be recommitted to the same Select Committee. The question is that the amendment be passed.

(अस्वीकृत)

श्री अध्यक्ष:-The amendment fails.

The question is "that the Rajasthan Forest Bill, 1952, be taken into consideration."

(स्वीकृत)

श्री अध्यक्ष:—The motion is adopted. Now we proceed to consider the Bill clause by clause.

(विराम)

(Clause 2)

श्री अध्यक्ष:—Motion moved.

The question is:—

"That Clause 2 stand part of the Bill.

(स्वीकृत)

Clause 2 is added to the Bill.

(Chapter II—Clause 3)

श्री अध्यक्ष:—Motion moved. The question is:—

"That clause 3 stand part of the Bill".

(स्वीकृत)

Clause 3 forms part of the Bill.

(Clause 4)

श्री अध्यक्ष:—Motion moved: The question is:—

"That Clause 4 stand part of the Bill"

(स्वीकृत)

Clause 4 forms part of the Bill.

Shri Gopi Lal Yadav:—May I draw your kind attention to the fact that there is no quorum in the House.

(विराम)

श्री अध्यक्ष:—Is it? We want only 16 members.

(विराम)

In response to the objection raised by Mr. Yadav I would like to invite attention to Article 189 of the Constitution, sub-section (3) which provides that the quorum to constitute a meeting of a House of the Legislature of a State shall be ten members or one-tenth of the total number of members of the House, whichever is greater. So, we require only 16 i. e. 1/10th, and I think we are more than that.

(Clause 5)

श्री अध्यक्ष: - Motion moved. The question is:

"That Clause 5 stand part of the Bill".

(स्वीकृत)

Clause 5 forms part of the Bill.

(Clause 6)

श्री अध्यक्ष:—Motion moved.

The question is; "that Clause 6 stand part of the Bill".

(स्वीकृत)

Clause 6 is added to the Bill.

(Clause 7)

श्री अध्यक्ष:—Motion moved.

The question is; "that Clause 7 stand part of the Bill".

(स्वीकृत)

Clause 7 is added to the Bill.

(Clause 8)

श्री अध्यक्ष: -Motion moved.

The question is: "that Clause 8 stand part of the Bill".

(स्वीकृत)

Clause 8 forms part of the Bill

(Clause 9)

श्री अध्यक्ष:—Motion moved.

The question is "that Clause 9 stand part of the Bill".

(स्वीकृत)

Clause 9 forms part of the Bill.

(Clause 10)

श्री अध्यक्ष:—Motion moved.

The question is; "that Clause 10 stand part of the Bill".

(स्वीकृत)

Clause 10 forms part of the Bill.

(श्री उपाध्यक्ष का आसन ग्रहण करना)

(Clause 11)

श्री उपाध्यक्ष:—Motion moved.

The question is; "that Claus 11 stand part of the Bill".

(स्वीकृत)

The clause 11 forms part of the Bill.

(Clause 12)

श्री उपाध्यक्ष:—Motion moved.

The question is; "that Clause 12 stand part of the Bill".

(स्वीकृत)

Clause 12 is accepted as part of the Bill.

(Clause 13)

श्री उपाध्यक्ष:—Motion moved.

The question is; "that Clause 13 stand part of the Bill."

(स्वीकृत)

Clause 13 forms part of the Bill.

(Clause 14)

श्री उपाध्यक्ष:—Motion moved.

The question is; "that Clause 14 stand part of the Bill."

(स्वीकृत)

Clause 14 is added to the Bill.

(Clause 15)

श्री उपाध्यक्ष:—Motion moved.

The question is; "that Clause 15 stand-part of the Bill".

(स्वीकृत)

Clause 15 forms part of the Bill.

(Clause 16)

श्री उपाध्यक्ष:—Motion moved.

The question is; "that Clause 16 stand part of the Bill."

(स्वीकृत)

Clause 16 is added to the Bill.

(Clause 17)

श्री उपाध्यक्ष:—Motion moved.

The question is "that Clause 17 stand part of the Bill."

(स्वीकृत)

Clause 17 is added to the Bill.

(Clause 18)

श्री उपाध्यक्ष:—Motion moved.

The question is: "that Clause 18 stand part of the Bill."

(स्वीकृत)

Clause 18 is added to the Bill.

(Clause 19)

श्री उपाध्यक्ष:—Motion moved.

The question is: "that Clause 19 stand part of the Bill."

(स्वीकृत)

Clause 19 is added to the Bill.

(Clause 20)

श्री उपाध्यक्ष:—Motion moved.

The question is: "that Clause 20 stand part of the Bill."

(स्वीकृत)

Clause 20 is added to the Bill.

(Clause 21)

श्री उपाध्यक्ष:—Motion Moved.

The question is: "that Clause 21 stand part of to the Bill."

(स्वीकृत)

Clause 21 is added to the Bill.

(Clause 22)

श्री उपाध्यक्ष:—Motion moved.

The question is : "that Clause 22 stand part of the Bill."

(स्वीकृत)

Clause 22 is added to the Bill.

(Clause 23)

श्री उपाध्यक्ष:—Motion moved.

The question is: "that Clause 23 stand part of the Bill."

(स्वीकृत)

Clause 23 is added to the Bill.

(Clause 24)

श्री उपाध्यक्ष:—Motion moved.

The question is: "that Clause 24 stand part of the Bill."

(Motion accepted.)

Clause 24 is added to the Bill.

(Clause 25)

श्री उपाध्यक्ष:—Motion moved.

The question is: "that Clause 25 stand part of the Bill.

(स्वीकृत)

Clause 25 is added to the Bill.

(Clause 26)

श्री उपाध्यक्ष:–Motion moved. the question is "that Clause 26 be added to the Bill."

(स्वीकृत)

Clause 26 is added to the Bill.

श्री अमृतलाल यादव:–अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान Rules of Procedure की धारा १४६ की ओर दिलाना चाहता हूं जिसमें लिखा है कि,

"Passing of a Bill:—(1) When a motion that a bill be taken into consideration has been carried and no amendment of the bill is made, the member-in-charge may at once move that the bill be passed."

इसलिए मैं यह मूव करता हूं कि बाकी की जो धाराएं बच गई हैं उनको पढ़ी हुई समझी जायं और इसे पास किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष:–मेरा ध्यान इस बात की ओर आकर्षित किया गया है कि इस बिल पर कोई संशोधन नहीं है, इसलिये जो धाराएं बची हैं उनको पढ़ी हुई मानली जाएं । अगर इस संबन्ध में हाउस की सम्मति हो कि जो धाराएं बची हैं उनको एक साथ पढ़ी हुई मानली जाएं; तो ऐसा किया जा सकता है । इस संबन्ध में मैं हाउस की सम्मति जानना चाहता हूं ।

(स्वीकृत)

तो बाकी के सब क्लाज पढ़े गये की तरह स मान लिये गये । जब सवाल यह है कि जितने भी क्लाजेज पढ़े हुए मान लिये गये हैं उन सबको इस बिल के अंग बनाये जावें ।

(स्वीकृत)

श्री अमृतलाल यादवः–Sir, I beg to move that the Bill be passed.

श्री उपाध्यक्षः-मोशन मूव्ड । प्रस्ताव यह है कि यह बिल पास किया जावे ।

(स्वीकृत)

बिल स्वीकार किया जाता है ।

राजस्थान सहकारी समिति विधेयक, १९५२

श्री अमृतलाल यादवः--माननीय अध्यक्ष, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान में सहकारी समितियों से संबन्ध रखने वाली विधि को एकत्रित तथा संशोधित करने वाला विधेयक, जैसा कि प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित हुआ है, विचारार्थ लिया जाय ।

श्री उपाध्यक्षः--मोशन मूव्ड ।

श्री अमृतलाल यादवः--माननीय अध्यक्ष, इस बिल को इन्ट्रोडयूस करते समय मैंने सदन के सामने उसके एम्स और ओबजेक्टस (aims & objects) पर कुछ निवेदन किया था और उसके बाद, जैसी कि इस बिल की अहमियत थी, इसको सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द किया गया और मुझे कहते हुए हर्ष होता है कि प्रवर समिति क सदस्यों ने बाहर से मंगाये हुए लिटरेचर का अध्ययन किया व स्थानीय स्थिति का भी अध्ययन किया और जो सहकारी आन्दोलन चल रहा है व सहकारिता से जो जो लाभ हो सकते हैं व किस तरह से सहकारिता क आधार पर राजस्थान प्रान्त को आगे बढ़ाया जा सकता है, सुखी और समृद्धिशाली बनाया जा सकता है, अध्ययन किये। जो साहित्य यहां पर उपलब्ध था उसक अलावा दो–चार सदस्यों ने अपना खुद का साहित्य बाहर से मंगवाया और उसको अध्ययन कर इस बिल को ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचाने की कोशिश की । इस तरह से यह बिल जो सिलेक्ट कमेटी के सदस्यों ने सदन के सामने प्रस्तुत करने के लिये रखा है, इस संबन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मुझे पूरा विश्वास है कि जो सहकारिता का काम इस बिल के पास होने के बाद होने वाला है इससे राजस्थान की जनता को बहुत लाभ पहुंचेगा । जहां तक इस बिल में राजस्थान की अलग अलग रियासतों के कानूनों के हिस्सों का सवाल है उस संबन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो अच्छे अच्छे हिस्से थे उनको ले लिये गये हैं और जिनसे जनता को कोई लाभ नहीं होता था

वे छोड़ दिये गये हैं । इसके अलावा यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि आज तक हिन्दुस्तान के अन्य प्रान्तों में इस प्रकार के जो बिल पास हो चुके हैं और उनमें जो जो संशोधन हुए हैं उनको भी ध्यान में रखा गया है । कमेटी की रिपोर्ट हमने पढ़ी है और हमें इस बात का हर्ष होता है कि हमने उन सब बातों का उपयोग किया है । मैं तो यह कहूंगा कि यह बिल न केवल राजस्थान में बल्कि हिन्दुस्तान में सर्व श्रेष्ठ बिल होगा । मुझे इतना ही निवेदन करना है । और जो कार्य में और मेरे साथी इस संबन्ध में कर सके उसके लिये मुझे हर्ष है । यह बिल राजस्थान के लिये ही नहीं बल्कि सारे हिन्दुस्तान के लिये आदर्श बिल होगा ।

श्री उपाध्यक्ष:—मोशन मूवड ।

प्रश्न यह है कि राजस्थान में सहकारी समितियों से संबन्ध रखने वाली विधि को एकत्रित तथा संशोधित करने वाला विधेयक, जैसा कि प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित हुआ है, विचारार्थ लिया जाय ।

(स्वीकृत)

इसको विचारार्थ लिया जाय

श्री अमृतलाल यादव:--अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान पुनः प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन की नियमावली की धारा १४६ की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि चूंकि इस बिल पर कोई संशोधन आदि नहीं आये हैं इसलिये इस बिल की सारी धाराएं पढ़ी हुई मानली जावें और पास की जावें ।

श्री उपाध्यक्ष:--सवाल यह है कि इस बिल पर कोई संशोधन नहीं पेश हुए हैं इसलिये क्या इसकी धाराएं पढ़ी हुई मानली जावें । हाउस के जो सदस्य इसके पक्ष में हों वे "हां" कहें और जो विरोध में हों वे "ना" कहें ।

(स्वीकृत)

इस विधेयक की सब धारायें पढ़ी हुई मानी गई ।

श्री अमृतलाल यादव:--Sir, I move that the Bill may be passed.

श्री उपाध्यक्ष:--Motion moved. The question is:

"That the Bill may be passed."

(स्वीकृत)

बिल पास हुआ ।

राजस्थान भूमि-अर्जन विधेयक, १९५२

श्री मोहनलाल सुखाड़िया:--माननीय अध्यक्ष, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान में भूमि का आवश्यक रूप से अर्जन (कम्पल्सरी एक्विजिशन) करने के लिए विधि को एकत्रित और संशोधित करने वाले विधेयक को विचारार्थ लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष:--मोशन मूव्ड।

श्री भैरूसिंह (दांता रामगढ़):--माननीय अध्यक्ष, इस बिल के प्रस्तुत करने पर मैं एक एमेन्डमेन्ट पेश करना चाहता हूं। वह यह है कि:--

"Rajasthan Land Acquisition Bill moved for consideration in the House be referred to a Select Committee."

अध्यक्ष महोदय, इस सिलसिले में मैं यह निवेदन करूंगा कि यह बिल बड़ी अहमियत रखता है। इस बिल को यदि इस समय हाउस में विचारार्थ लिया गया और यहां थोड़े से समय में ही विचार किया गया तो मैं समझता हूं कि वह अहमियत, जो यह बिल रखता है, वह सारी अहमियत दूर रह जायगी। इसमें जो धारायें हैं उन धाराओं पर यदि एक एक पर विचार किया जाय तो मैं समझता हूं कि इसमें एक भी ऐसी धारा नहीं है जिस धारा से जनता का कोई विशेष फायदा हो और जो अधिकार गवर्नमेन्ट की तरफ से दिये गये हैं वे भी उन अधिकारियों को दिये गये हैं जिन पर जनता विश्वास नहीं कर सकती है कि वे अधिकारी जनता के हित के लिए न्याय को दृष्टि में रखते हुए, कोई लेंड को रिक्विजिट करने के लिए गवर्नमेन्ट को रिजोल्युशन मूव करेंगे। इस सिलसिले में मैं यह निवेदन करूंगा कि इस बिल को इसी वक्त विचार करने से कुछ फायदा नहीं। यदि इस बिल को सिलेक्ट कमेटी को रेफर कर दिया जाय तो जनता और सरकार के हित में ज्यादा से ज्यादा फायदा होगा।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया:--माननीय अध्यक्ष, मैं समझता हूं कि यह बिल काफी अर्से से माननीय सदस्यों के पास भेज दिया गया था। यह एक अहम बिल है, इसके कहने की कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन जैसा कि सबको विदित है कि इसके बारे में कोई एमेन्डमेन्ट नहीं आया है। इस पर विचार तो किया ही जाय जबकि इसको काफी समय पहले ही भेजा जा चुका है। इसकी आवश्यकता इस कारण से बहुत है कि कई जगह बांध बनाये जाने का काम चल रहा है; जैसे कि जवाई का प्रश्न है और कई दूसरे स्थानों के बारे में वह प्रश्न आया है। उस दृष्टि को सामने रखते हुए तथा इस बिल पर विचार करने के लिए पहले ही काफी समय मिल चुका है। अतः इस बिल पर विचार करके, इसे पास कर दिया जाय तो उपयुक्त होगा।

श्री भैरूसिंह खेजड़ला:--अध्यक्ष महोदय, चीफ व्हिप आफ दी ट्रेजरी बेन्चेज की यह राय है कि अगर इस बिल को सिलेक्ट कमेटी को रेफर कर दिया जाय

तो उनको कोई ऐतराज नहीं है । यह बिल बड़ा महत्वपूर्ण है; अतःएव इसको सिलेक्ट कमेटी को रेफर किया जाना जरूरी है । श्री भैरूसिंह ने जो एमेन्डमेन्ट मूव किया है कि वह सिलेक्ट कमेटी को रेफर किया जाय, ठीक है ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया:--अगर मेम्बर्स की यह राय है कि यह सिलेक्ट कमेटी को रेफर किया जाय तो कोई बात नहीं है । इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है । सिलेक्ट कमेटी में मेम्बर्स के जो नाम हैं वे बाद में पेश कर दिये जायेंगे ।

श्री भैरूसिंह (खेजड़ला):--मेरे ख्याल से सिलेक्ट कमेटी के नाम तय करके बाद में पेश कर दिये जायं । यह सिलेक्ट कमेटी को रेफर कर दिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष:--संशोधन प्रस्तुत है कि इस बिल को सिलेक्ट कमेटी को रेफर किया जाय । जो सदस्यों के नाम हैं वह अभी विचार करके पेश करेंगे ।

यह संशोधन यद्यपि मूवर स्वयं स्वीकार कर चुके हैं, फिर भी सम्मति लेना जरूरी है । अतः प्रश्न यह है कि क्या इसे प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाए ।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकृत हुआ । इसे सिलेक्ट कमेटी को दिया जाता है, जिनके नाम बाद में बतलाये जाएंगे ।

राजस्थान मुद्रांक विधि (अन्तर्ग्रहण) संशोधन विधेयक, १९५२.

श्री नाथूराम मिर्धा:- मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान मुद्रांक विधि (स्टाम्प लॉ) (अन्तर्ग्रहण) अध्यादेश, १९५२, का संशोधन करने वाला विधेयक विचारार्थ लिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष:-मोशन मूव्ड ।

श्री भैरूसिंह:--[दांता रामगढ़] अध्यक्ष महोदय, मुझे इसमें ऐतराज है । जब यह बिल माननीय श्री भोलानाथ के नाम पर तजवीज किया गया है और वे इस वक्त हाउस में नहीं हैं तो श्री नाथूराम मिर्धा का मूव करना क्या वाजिब है ?

श्री नाथूराम मिर्धा:--इस बिल के सम्बन्ध में मुझे लम्बी-चौड़ी बातें इस सदन के सामने नहीं रखनी हैं, लेकिन यह बताना चाहूंगा कि हमने इन्डियन स्टाम्प्स एक्ट १८९९ की बेसिस पर.....

श्री उपाध्यक्ष:--यह जो ऐतराज श्री भैरूसिंह ने उठाया है उसके विषय में आपको कुछ नहीं कहना है ? रूल्स ओफ प्रोसिजर का रूल २ (जी) बिलकुल स्पष्ट है:--

"Member-in-charge of the Bill" means in the case of a Government Bill any Minister and in any other case the Member

who has introduced the bill." इसलिये इसके तहत कोई भी मिनिस्टर पेश कर सकता है।

श्री नाथूराम मिर्धा:-इस बिल के संबन्ध में मैं सदन के सामने यह बात रखना चाहता हूं कि इन्डियन स्टाम्प एक्ट १८९९ की बेसिस पर हमने राजस्थान स्टाम्प एक्ट, सन् १९५१ में पास किया था। वह फरवरी १९५२ म हमारे गजट म प्रकाशित किया गया था। उसमें कुछ प्रिन्टिंग की गलतियां रह गई थीं। उन गलतियों को दुरुस्त करने के लिए यह छोटा सा एक्ट सदन के सामने लाया गया है।

उपाध्यक्ष:-मोशन मूव्ड।

प्रश्न यह है कि राजस्थान स्टाम्प लॉ (एडेप्टेशन) अमेन्डमेन्ट बिल विचारार्थ लिया जाय।

श्री इन्द्रनाथ मोदी:-I would submit, Sir, that there are mistakes in the bill and as such it would be fair if the Bill is referred to Select Committee, the names of which will be declared at a later date. In this connection I may submit that if you look up Article 30, you will see that there are some very obvious printing errors. In order that we may be able to have a comprehensive amending Act, it will be much better if the Hon'ble Minister-in charge agrees to refer it to a Select Committee. We would be ultimately saving the time of the House. I may point out that Article 30 has had to be considered recently by the Rajasthan High Court and they have held that there has been a mistake and I think the Government would do well to take notice of that judgment and incorporate that amendment also in this amending Bill. I am just bringing these facts to the notice of the Hon'ble Member-in-charge so that we may eventually save time in bringing an upto date amending Bill in the light of the judicial judgments not of an ordinary court but of the highest court in the province.

श्री नाथूराम मिर्धा:-मुझे माननीय सदस्य द्वारा प्रस्तावित संशोधन को स्वीकार करने में कोई ऐतराज नहीं। भले ही इसे सिलेक्ट कमेटी को दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष:-प्रस्तावक न संशोधन को स्वीकार कर लिया है अतः अब प्रश्न यह ह कि:-

"प्रवर समिति में इस बिल को भेजने का जो संशोधन रखा गया है उसको स्वीकार किया जाय"।

(स्वीकृत)

यह विधेयक प्रवर समिति को दिया जाने की सदन की सम्मति है।

राजस्थान न्यायालय शुल्क अधिनियम [अन्तर्ग्रहण]

अध्यादेश [संशोधन] विधेयक, १९५२

श्री नाथूराम मिर्धा:–अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान न्यायालय शुल्क (कोर्ट फीज) (अन्तर्ग्रहण) अध्यादेश, १९५०, में और संशोधन करने वाला विधेयक विचारार्थ लिये जाने का प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष:–मोशन मूव्ड।

प्रश्न यह है कि राजस्थान न्यायालय शुल्क (कोर्टफीज) अधिनियम (अन्तर्ग्रहण) अध्यादेश, १९५० में और संशोधन करने वाला विधेयक विचारार्थ लिया जाय।

(स्वीकृत)

यह बिल विचारार्थ लिया जाता है।

श्री नाथूराम मिर्धा:–इस बिल को पेश करने के जो ओबजेक्ट्स हैं वे बहुत थोड़े में ये हैं कि पार्ट "ए" स्टेटस में:–

There are provisions that certain fees are prescribed for the applications to be presented to the R. T. O. and S. T. A. और इसी बुनियाद में हमारे यहां राजस्थान में भी इन एप्लीकेशन्स पर फीस लगाने क लिए यह छोटासा अमेन्डमेन्ट लाया गया है। क्योंकि बहुतसी दफा फीज, एप्लीकेशन्स के आने पर नहीं लगाई जाती और वे फालतू और फिवलस नेचर की हो जाती हैं। इससे बचने के लिए सरकार ने तीन रुपया और डेढ़ रुपया फीस लगाने की तजबीज की है।

मैं आशा करता हूं कि यह छोटा सा अमेन्डमेन्ट रखा गया है उसे स्वीकृत किया जावेगा। जो पार्ट ए स्टेटस में भी है, और इसे हमारे यहां लागू करने की नियत से ही यह बिल प्रस्तुत किया गया है।

श्री उपाध्यक्ष:–अब इस पर क्लॉज बाइ क्लॉज विचार किया जाय।

Clause 2

श्री उपाध्यक्ष:–Motion moved. The Question is: "that Clause 2 stand part of the Bill."

(स्वीकृत)

Clause 2 is added to the Bill.

Clause 1 Title etc

श्री उपाध्यक्ष:–Motion moved. The Question is:

"That clause 1 Title and enacting formula etc. stand part of the Bill."

(स्वीकृत)

Clause 1 is added to the Bill. the Title and the enacting formula are added to the Bill.

श्री नाथूराम मिर्धा:--I move that the Bill be passed.

श्री उपाध्यक्ष:–The Question is:—

"That the bill be passed"

(स्वीकृत)

The Bill is passed.

(विराम)

श्री उपाध्यक्ष:–मैं सदस्यों की जानकारी के लिए बतला रहा हूं कि सोमवार को डिमान्ड फोर ग्रान्ट्स लिया जावेगा। सदस्य उसके लिए तैयार रहें। आज की कार्यवाही समाप्त की जाती है, और बैठक कल के लिये स्थगित की जाती है। कल सोमवार साढ़े आठ बजे कार्यवाही शुरू होगी।

(इसके पश्चात् सदन की बैठक ११-३० बजे, सोमवार, दिनांक २७ अक्टूबर, १९५२ को प्रातःकाल ८-३० बजे तक के लिये स्थगित की गई।)

सभा भवन,
जयपुर,
दिनांक २४ अक्टूबर, १९५२

मनसाराम पुरोहित,
सचिव,
राजस्थान विधान सभा, जयपुर।